

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- ५३

दिनांक :- ०८/०१/२०२६

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक द्वारा अपने आदेश क्रमांक स्था./२०२६/१/१४१ दिनांक ०५.०१.२०२६ के द्वारा दिनांक १४.०१.२०२६ (मकर संक्रांति) का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस कारण से मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा १२ सपठित धारा १३(२) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक ०१ दिनांक ०२.०१.२०२६ में संशोधन कर दिनांक १४.०१.२०२६ के स्थानीय अवकाश के लिए टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या १ में वर्णित कॉलम संख्या २ में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या ३ में अंकित है, कॉलम संख्या ५ में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इ्यूटी करेंगे। साथ ही उक्त स्थानीय अवकाश में प्रोटोकॉल के लिए सारणी संख्या २ में वर्णित कॉलम संख्या २ में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या ३ में अंकित है, कॉलम संख्या ५ में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इ्यूटी करेंगे। माह जनवरी-२०२६ की दिनांकों के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

सारणी संख्या :- १ रिमाण्ड इ्यूटी

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
१	२	३	४	५
१.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली	हर्ष मीना	८२९०४८११९६	१४.०१.२६

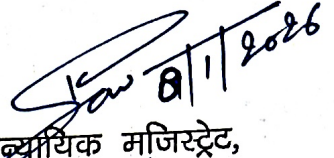
सारणी संख्या :- २ प्रोटोकॉल इ्यूटी

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
१	२	३	४	५
१.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अंजली सिंह	९५६०५९५६६९	१४.०१.२६

उक्त इ्यूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे रिमाण्ड इ्यूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इ्यूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त स्थानीय अवकाश के अतिरिक्त आगामी दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में उक्त स्थानीय अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल इ्यूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इ्यूटी करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इयूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।

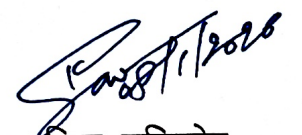

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

दिनांक :- 08/01/2026

क्रमांक :- 44-67

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1/संख्या-2, टोंक।
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा/मालपुरा/निवाई/ढोडारायसिंह।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट. टोंक/देवली/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी/पीपलू।
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/देवली/निवाई/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
7. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
8. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
9. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
10. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
11. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)